बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 146176 पटना, दिनांक 18-04-13

ग्रा0वी0-5/इं0आ0यो0-102-09/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास लाभार्थियों का विवरण आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आरंभ से ही अवगत कराया जाता रहा है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास के लाभार्थियों का विवरण आवास सॉफ्ट पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा योजनान्तर्गत जिलों को निधि की विमुक्ति नही की जाएगी । इस संबंध में समय-समय पर समीक्षा भी की गई तथा अपेक्षानुसार विभाग स्तर से मार्गदर्शन भी किया गया । किन्तु लाभार्थियों का विवरण तैयार करने एवं आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने की सुदृढ़ व्यवस्था के बावजूद भी यह कार्य संतोषजनक नहीं है । यह देखा गया है कि MIS पर पूरे राज्य में मात्र 26,312 इंदिरा आवास इकाईयों का फोटो अपलोड हुए हैं, जबकि यह संख्या कई गुणा अधिक होनी चाहिए थी ।

2. इसी प्रकार इंदिरा आवास योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि का शतप्रतिशत आवास सॉफ्ट पर प्रविष्टि करने को अनिवार्य बनाये जाने के बावजूद भी वर्ष 2012-13 में मात्र 5 जिलों यथा वैशाली, बेगुसराय, सहरसा, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर का ही 80 प्रतिशत से अधिक राशि MIS पर परिलक्षित हो रहा है । जिन जिलों को द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त हुई वहाँ की स्थिति और भी चिन्ता जनक है ।

3. इस प्रकार स्पष्ट है कि इस संबंध में विभागीय निर्देश के अनुपालन में ढिलाई है । उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के सभी लाभार्थियों का विवरण एवं व्यय की गयी राशि का शत प्रतिशत आवास सॉफ्ट पर प्रविष्टि होने पर ही जिलों को योजनान्तर्गत भविष्य में दी जाने वाली निधि की विमुक्ति पर विचार होगा । अतएव इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी संबंधितों को विशेष ध्यान दिलाकर वर्ष 2012-13 के सभी लाभुकों का विवरण फोटो सहित एवं व्यय की गयी राशि की शत प्रतिशत प्रविष्टि आवास सॉफ्ट पर दिनांक-03.05.2013 के पूर्व सुनिश्चित करायी जाय । जिन प्रखण्डों में यह कार्य पूर्ण नही होगा वहाँ के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

4. इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभुकों का विवरण भी आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराया जाय । इसके लिए वर्ष 2012-13 में भारत सरकार के द्वारा संसूचित लक्ष्य का डेढ़ गुणा संख्या में लाभुकों के विवरण की प्रविष्टि (बैंक खाता संख्या सहित) आवास सॉफ्ट पर कर दी जाय ताकि जैसे ही भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य का संसूचन हो, लाभुकों के खाते में राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके ।

पुन: उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 में आवास सॉफ्ट पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य है । उप विकास आयुक्त इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करेंगे, इस कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेवारी उनकी होगी । अत: उपर्युक्त कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाय ।

विश्वासभाजन

18/4

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 146176 पटना, दिनांक 18-04-13

प्रतिलिपि -सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/4

सरकार के सचिव

E:\D Drive\M.K\letter DDC 11.04.2013.doc